FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** STATE VIGILANCE BUREAU **P.S. (थाना):** SVB PANCHKULA **Year (वर्ष):** 2022

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0008 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 03/08/2022 23:15 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	THE PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7
3	THE PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	8

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** Wednesday **Date from (दिनांक से):** 03/08/2022 **Date To (दिनांक तक):** 03/08/2022

Time Period (समय अवधि): Pahar 8 **Time From (समय से):** 21:30 hrs **Time To (समय तक):** 21:30 hrs

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 03/08/2022 **Time (समय):** 22:19 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 015 **Date and Time (दिनांक और समय):** 03/08/2022 22:19 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** NORTH, 2 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड,सैक्टर 6 पंचकुला

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** DSP JEET SINGH

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 1972 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	PS SVB HISAR, SVB HISAR, STATE VIGILANCE BUREAU, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	PS SVB HISAR, SVB HISAR, STATE VIGILANCE BUREAU, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.): 0

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	दिशा गुप्ता आर्किटेक्ट कार्यालय मार्केटिंग बोर्ड सैक्टर 6 पंचकुला		Husband's Name: विशाल जिन्दल	1. मकान न058 सैक्टर 14 पचंकुला,SECTOR-14,PANCHKULA,HARYANA,INDIA
2	संजय उर्फ बिट्ट		Father's Name: श्री तीर्थ दास	1. मकान न058 सैक्टर 14 पचंकुला,SECTOR-14,PANCHKULA,HARYANA,INDIA
3	दीपक		Father's Name: विनोद कुमार	1. मकान न0185/24,वार्ड न024 आर्य नगर हाँसीHANSI,HARYANA,INDIA
4	नरेश कुमार		Father's Name: बनी सिंह	1. मकान न01286/18,उतम नगर हाँसीHANSI,HARYANA,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता दवारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल लेख इस प्रकार से है सेवा में, प्रबन्धक अफसर, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो पँचकुला जय हिन्द, आज मन उप पुलिस अधीक्षक अपनी प्राईवेट गाड़ी व उप निरीक्षक जयसिहँ न. 224/H, ASI नवदीप न. 220/BWN, HC वरिन्द्र सिहँ न. 485/HSR बा सवारी गाड़ी सरकारी न. HR03Z-3357 चालक HC पवन कुमार न. 1270/HSR के सरकारी कार्य हेतू पँचकुला आने के लिये पचंकुला- हिसार के रास्ते में था कि गुप्त सुत्रो के माध्यम से सुचना प्राप्त हुई कि हाँसी सब्ज़ी मंडी की दुकानो के आगे शेड बनाने की मंज़ूरी हेतु फाईल वहाँ के सब्जी मंडी के आढ़तियों के माध्यम से कार्यालय मार्केटिंग बोर्ड सेक्टर-6 पंचकुला में आयी हुई है । जो यह फ़ाईल दिशा गुप्ता आर्किटेक्ट कार्यालय मार्केटिंग बोर्ड के माध्यम से उच्च अधिकारीयो को मन्जुर होने हेतु जानी है इस फ़ाईल को दिशा गुप्ता उक्त से मन्जुर करवाने के लिए हाँसी से संजय @ बिट्टू और दिपक वासीयान हाँसी के माध्यम से दिशा गुप्ता ने 4 लाख कि रिश्वत की बात कि थी । इसमें से दो लाख रुपए संजय @ बिट्टू व दीपक कुछ समय पहले दिशा गुप्ता को देकर जा चुके है । अब दिशा गुप्ता ने यें फ़ाईल अपने पास से निकाल कर अपने उच्च अधिकारियों को मन्जुरी हेतू दे दी है । जो उच्च अधिकारयो के पास उक्त फाईल अभी तक लम्बित है । अब दिशा गुप्ता ने संजय @ बिट्टू, दीपक व नरेश कुमार वासीयान हाँसी से बाकी बचे हुए दो लाख रूपये लेने के लिए सम्पर्क किया है जो आज दिशा गुप्ता को दो लाख रूपये दिये जाने के लिए गाड़ी न.HR21P 5378 मार्का नेक्सान ग्रे रंग में सवार होकर बकाया दो लाख रुपए रिश्वत की राशि उसके घर या उसके ऑफ़िस में देने के लिए पंचकुला आयेंगे । अगर उस समय रैड कि जाये तो दिशा गुप्ता को रिश्वत के दौ लाख रूपये लेते हुए व संजय @ बिट्टू, दिपक व नरेश कुमार वासियान हाँसी को रिश्वत के रूपये देते हुए रँगे हाथ काबु किया जा सकता है । इनके बीच वटसप् चैटिंग व मोबाईल काल के माध्यम से रिश्वत बारे आपस मे बातचीत होती है जिसकी वाटसअप चैट रिकार्डिग या मोबाईल काल रिकाडिंग के सबुत इनके मोबाईल में मिल सकते है । जो सुचना काबीले यकिन होने पर मेरे द्वारा बजरिया मोबाईल श्री नरेन्द्र सिहँ, उप पुलिस अधीक्षक, राज्य चौकसी ब्यूरो, पँचकुला को उपरोक्त सुचना बारे जानकारी देकर रेड करने की मन्जुरी, डियूटी मैजिस्ट्रैट व छाया गवाह उपायुक्त महोदय, पँचकुला से नियुक्त करवाने बारे आग्रह किया । जिस पर श्री नरेन्द्र सिहँ, उप पुलिस अधीक्षक, राज्य चौकसी ब्यूरो, पँचकुला द्वारा उपायुक्त महोदय, पंचकुला से रैड की अनुमती व श्री दीपक सुहाग, सचिव मार्किट कमेटी, बरवाला को डियूटी मैजिस्ट्रैट तथा श्री जयवर्त आफिस

कानूनगो, पँचकुला को छाया गवाह नियुक्त करवाकर मुख्यालय राज्य चौकसी ब्यूरो (ह.) पँचकुला बुलाया गया । मै अपने स्टाफ के साथ मुख्यालय राज्य चौकसी ब्यूरो (ह.) पँचकुला पहुँचकर श्री नरेन्द्र सिहँ उप पुलिस अधीक्षक व उनके साथ डियूटी मजिस्ट्रैट श्री दीपक सुहाग, सचिव मार्किट कमेटी, बरवाला व छाया गवाह श्री जयवर्त आफिस कानूनगो, पँचकुला से मुलाकी होकर रेड की सुचना बारे अवगत करवाया उसके बाद मै अपने स्टाफ सहित मय गाड़ी सरकारी HR03Z-3357 मय चालक, डियूटी मैजिस्ट्रेट, छाया गवाह व राज्य चौकसी ब्यूरो पँचकुला के पुलिस कर्मचारी महिला मुख्य सिपाही प्रवेश न0.8/पंचकुला व महिला मुख्य सिपाही पुनम न0.866 /पंचकुला मय गाडी न0. HR03Z-0659 चालक ई.ए एस.आई बलजिन्द्र न0.180/अंबाला को साथ लेकर हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड सैक्टर 6 पंचकुला पहूँचा वहाँ पर सुचना अनुसार बताई गई गाड़ी न.HR21P5378 मार्का नेक्सान ग्रे रंग का ईंतजार मुनासीब आड़ लेकर करने लगे । करीब 5.30 पी.एम पर गाड़ी न.HR21P5378 मार्का नेक्सान ग्रे रंग कार्यालय हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड सैक्टर 6 पंचकुला में आई जिसमे तीन व्यकित सवार थे जिसमे से एक व्यकित जो नीला रंग का कुर्ता वा सफेद पजामा पहने हुए था वह कार्यालय हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड मे उपर कार्यालय मे चला गया तथा बाकी दो व्यकित गाडी के पास खडे थे । जिस पर मेरे दवारा दो पुलिस कर्मचारी उप निरीक्षक जयसिहँ न. 224/H व HC पवन कुमार न. 1270/HSR को उनकी निगरानी के लिये छोड़ा गया व मैं व श्री नरेन्द्र सिहँ, उप पुलिस अधीक्षक, डियूटी मैजिस्ट्रैट श्री दीपक सुहाग, सचिव मार्किट कमेटी, बरवाला व छाया गवाह श्री जयवर्त आफिस कानूनगो, पँचकुला व ASI नवदीप न. 220/भिवानी, मुख्य सिपाही वरिन्द्र सिहँ न. 485/हिसार, महिला मुख्य सिपाही प्रवेश न0.8/पंचकुला व महिला मुख्य सिपाही पुनम न0.866 /पंचकुला को साथ लेकर कार्यालय हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड मे उपर दुसरे तल पर श्रीमती दिशा गुप्ता आर्कैटैक्ट के कार्यालय के आगे पहूँचा तो एक व्यकित जो नीला कुर्ता वा सफेद पजामा पहने हुए था एक महिला के साथ कार्यालय से बाहर गेट के पास खड़े थे । जिसको मैंने डियूटी मैजिस्ट्रेट व छाया गवाह के सामने रोककर उसका नाम व पता पुछा तो उस व्यक्ति ने अपना नाम संजय उर्फ बिट्टु पुत्र श्री तीर्थ दास जाति पजांबी वासी वार्ड न0 5 लाल सडक नजदीक रामपुरा स्कुल हाँसी बतलाया तथा साथी महिला कर्मचारीयो के सहयोग से साथ वाली महिला से उसका नाम पता पुछा तो उसने अपना नाम दिशा गुप्ता पत्नी विशाल जिन्दल वासी मकान न0.58 सैक्टर 14 पचंकुला हाल आरकेटैक्ट, कार्यालय हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पँचकुला बताया । जो मेरे द्वारा संजय उर्फ बिट्टु पुत्र श्री तीर्थ दास उपरोक्त की डियूटी मैजिस्ट्रैट श्री दीपक सुहाग, सचिव मार्किट कमेटी, बरवाला व छाया गवाह श्री जयवर्त आफिस कानूनगो, पँचकुला के सामने नियमानुसार तलाशी अमल मे लाई तो उसके पहने कुर्ते की दाहिनी जेब से 500/500 रुपये के 284 नोट व 2000/2000/- रूपयो के चार नोट कुल 150000/- रुपये बरामद हुए बरामदा करन्सी नोट बारे पुछताछ की गई तो संजय उर्फ बिट्टु ने बतलाया कि वह 150000/-रुपये बतौर रिश्वत श्रीमती दिशा गुप्ता आर्कैटैक्ट हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड सैक्टर 6 पंचकुला को हाँसी सब्ज़ी मंडी की दुकानो के आगे शेड बनाने की मंज़ूरी दिलवाने के लिये देनी थी उक्त बरामदा राशि का पलन्दा तैयार करके बजरिया फर्द द्वारा कब्जा पुलिस में लिया गया फर्द पर हस्ताक्षर गवाहन करवाये गये तथा बाई जेब से 3210/- के करन्सी नोट बरामद हुए जिनको फर्द जामा तलाशी द्वारा कब्जा पुलिस में लिया गया तथा कुर्ते की सामने वाली जेब से एक मोबाईल फोन मार्का सैमसैंग बारंग आसमानी जिसका IMEI NO.1-358871700383054/0 वा दुसरा IMEI NO.2-359795780383057/01 बरामद हुआ जिसकी मुख्य-2 काल रिकार्डिग सुनी गई तो उसके मोबाईल मे श्रीमति दिशा उपरोक्त से दिनाँक 02.08.2022 को समय 11.45 ए.एम पर हुई बातचीत की 51 सैकण्ड की महत्वपुर्ण रिकार्डिग मिली जिसमे श्रीमति दिशा गुप्ता उपरोक्त संजय उर्फ बिट्टु से उनकी शैड की फाईल पास करवाने बारे बातचीत कर रही है जिसमे संजय आगे से दिशा को पेटी डेड पेटी देने बारे कह रहा है दिशा गुप्ता डेड पेटी कर दो गे क्या बारे कह रही है जिस पर सजंय उपरोक्त ने दिशा गुप्ता को डेड पेटी देने बारे हाँ भर रहा है जो उक्त रिकोर्डिग से सपष्ट होता है कि दिशा गुप्ता द्वारा उक्त फाईल पास करने की एवेज में 150000/- रूपये (डेढ़ पेटी) कि माँग कि गई है । जो उक्त रिकाँर्डिगो को लेपटोप के माध्यम से अलग सी.डी. में डालकर अलग से फर्द द्वारा कब्जा पुलिस में लिया व पलन्दा तैयार किया गया तथा उक्त मोबाईल का भी अलग से पलन्दा तैयार करके फर्द द्वारा कब्जा पुलिस में लिया गया फर्द पर हस्ताक्षर गवाहन करवाये गये । दिशा गुप्ता दवारा काम करने के बदले रिश्वत मांगने व संजय उक्त दवारा काम करवाने के बदले रिश्वत देने के आरोप रिकार्डिग के आधार पर सत्य पाये गये है । उसी समय उप निरीक्षक जयसिहँ न. 224/H व HC पवन कुमार न. 1270/HSR ने दो व्यकित जो उक्त गाडी मे आये थे । मेरे सम्मुख पेश किये जिनके मैने डियूटी मैजिस्ट्रैट व छाया गवाह के सामने नाम पते पुछे तो पहले ने अपना नाम दीपक पुत्र विनोद कुमार जाति पजाँबी वासी मकान न0.185/24 वार्ड न0.24 आर्य नगर हाँसी बतलाया जिसकी तलाशी लेने पर 6240 /- रूपये मय पर्स बारंग भूरा साथ में ड्राईवर लाईसैन्स जिसका न. HR20/57773 और आधार कार्ड जिसका न. 480578712288 व एक मोबाईल मार्का सैमसैंग, बारंग नीला जिसमें नम्बर 98124-34410 व 70157-64693 डले हुए है तथा दुसरे ने अपना नाम नरेश कुमार पुत्र बनी सिंह जाति सैनी वासी मकान न0.1286/18 उतम नगर हाँसी बतलाया जिनकी तलाशी लेने पर 2130 /- रूपये व नरेश कुमार के नाम से ड्राईवर लाईसैन्स जिसका न. HR2120040096028 व एक मोबाईल मार्का रियलमी बांरग नीला जिसमें नम्बर 9050712244 डला हुआ है । बरामदा दिपक व नरेश उक्त से बरामद नगद रूपये, कागजात व मोबाईल फोनो को अलग-2 फर्दात द्वारा कब्जा पुलिस में लिया गया व गवाहन हस्ताक्षर करवाये गये । उसके पश्चात महिला प्रधान सिपाही पुनम व महिला प्रधान सिपाही प्रवेश ने दिशा गुप्ता की तलाशी एकान्त में ले जाकर अमल में लाई गई उनके पास एक पर्स बारंग लाल जिसमें कुल 2220 /- रूपये बरामद हुए बरामदा पर्स व रूपयो को फर्द जामा तलाशी द्वारा कब्जा पुलिस में लिया गया व उनके हाथ में एक मोबाईल फोन मार्का रियलमी कम्पनी जिसमें दो नम्बर 94179-39439 व 84275-99439 है का अलग से पलन्दा तैयार करके फर्द द्वारा कब्जा पुलिस में लिया गया फर्दात पर हस्ताक्षर गवाहन करवाये गये । दिशा गुप्ता व संजय कुमार के बरामदा मोबाईलो को अलग से अध्ययन के लिए साईबर विशेषज्ञ के पास भेजा जायेगा । गाड़ी न.HR21P5378 मार्का नेक्सान ग्रे रंग मय चाबी को फर्द द्वारा कब्जा पुलिस में लिया गया । फर्द पर हस्ताक्षर गवाहन करवाये गये । सभी पलन्दाजात को मोहर SVB(H) शुदा कुल 5/5 मोहर से सर्व मोहर किया गया, मोहर बाद प्रयोग हवाले डियूटी मैजिस्ट्रैट श्री दीपक सुहाग, सचिव मार्किट कमेटी, बरवाला की गई । जो दीपक पुत्र विनोद कुमार जाति पजाँबी वासी मकान न0.185/24 वार्ड न0.24 आर्य नगर हाँसी व नरेश कुमार पुत्र बनी सिंह जाति सैनी वासी मकान न0.1286/18 उतम नगर हाँसी ने मन उप पुलिस अधीक्षक पुन: पुछताछ पर बतलाया कि जो हाँसी सब्जी मण्डी में जो सैड बनना है जिसकी फाईल के लिए दिशा गुप्ता के पास हम एक ही गाड़ी से आये थे हम तीनो ने ये पैसे इकट्ठे करके आज मैडम दिशा को देने थे । इसी कारण हम आफिस टाईम के बाद कार्यालय में आये थे कि पैसे का लेन-देन हो सके और किसी को शक भी ना हो । जो आरोपीया दिशा गुप्ता ने संजय @ बिट्टू के साथ मोबाईल पर रिश्वत के रूपयो की पेटी के रूम में डिमाण्ड करके व संजय @ बिट्टू और दिपक व नरेश कुमार उक्त वासियान हाँसी ने उक्त कार्य करवाने के लिए रिश्वत देने व लेने की साजिश रचकर जुर्म जेर धारा 120बी भा.द.स. व 7,8 पी.सी. एक्ट का किया है । लिहाजा तहरीर हजा बराये कायमी मुकदमा बदस्त ई.ए एस.आई बलजिन्द्र न0.180/अंबाला के अरसाल थाना है । अभियोग अंकित करके नम्बर अभियोग से सुचित किया जावे व अभियोग की प्रथम सुचना स्पैशल रिपोर्ट ईलाका मैजिस्टैट व अफसरान बाला को भिजवाई जावे । आगामी अभियोग अनुसंधान हेतु अनुसंधानकर्ता बर मौका भिजवाया जावे । मन उप पुलिस

अधीक्षक मय डियूटी मैजिस्ट्रैट, छाया गवाह मय स्टाफ मय लेपटोप, प्रिंटर के बर मौका हूँ । अज :- कार्यालय हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड सैक्टर 6 पंचकुला । Sd Jeet Singh जीत सिहँ ह0पु0से0 उप पुलिस अधीक्षक, राज्य चौकसी ब्यूरो, हिसार मण्डल, हिसार मो.न. 88139-01111 दिनाँक 03.08.2022, At. 9.30 PM अज थाना- उपरोक्त तहरीर पर अभियोग न0 08 दिनांक 03.08.2022 धारा 7,8 पी.सी.एक्ट 1988 व 120 बी0 भा0द0स0 थाना रा0चौ0ब्यू0 पंचकुला अंकित करके स्पैशल रिपोर्ट ई. मेल के माध्यम से स्पैशल मैजीस्ट्रेट साहब, पंचकुला, जिला पंचकुला की सेवा में व उच्च अधिकारियों की सेवा में भिजवाई जा रही है । असल तहरीर व अभियोग की पुलिस फाईल उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार नि0 जयपाल A/50 के हवाले करके अभियोग के आगामी अनुसंधान हेतू मु0सि0 पपिन्द्र सिंह 1227/कुरुक्षेत्र, इ.ए.एस.आई. बलजिन्द्र न0 180/अम्बाला के बा सवारी गाडी सरकारी न0 HR03Z-1224 जिसका चालक इ.एच.सी. परमजीत सिंह 598/अम्बाला के रवाना मौका घटनास्थल का किया गया । इन्द्राज रिकार्ड विधि अनुसार किया गया।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): JAI PAL **Rank (पद):** I (Inspector)

No. (सं.): A50 **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Pankaj Nain

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)

Rank (पद): Dy. IG (Deputy Inspector General)

No. (सं.): IPS

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):